



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237362
CG-DL-E-19072022-237362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]
No. 512]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ़ 28, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

(आय-कर)

सा.का.नि. 582(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक 67/2022, तारीख 21 जून, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 463 (अ), तारीख 21 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित की गयी थी, के,—

(i) पृष्ठ 6 पर, पंक्ति संख्या 23 में, अक्षर "न" के स्थान पर, "प" पढ़ा जाए:-

[अधिसूचना सं. 84/2022/फा.सं. 370142/23/2022-टीपीएल]

मृणालिनी कौर सप्रा, निदेशक